Except one flat the ESI Corporation got possession of all the flats during 1990-93.

(b) 82 flats in 1991, 18 in 1992, 41 in 1993 and 36 in 1994 were allotted to the employees. The date of allotment of each flat is not available.

(c) No, Sir. The number of vacant flats was 100.

(d) to (f) At present 60 out of 75 vacant flats are being modified/converted into MIG flats. All the flats are likely to be occupied by the entitled employees on completion of the work. No person has been held responsible for lapse by ESIC.

(g) Except in Karnataka (Bangalore) the ESIC has not purchased ready-built flats in any other State.

प्रबन्धन में कर्मकारों की भागीदारी

3590. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रबन्धन में कर्मकारों की भागीदारी से संबंधित नीति की दिसम्बर, 1983 में घोषणा किए जाने के बाद से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) कर्मकारों को प्रबन्धन बोर्डों में कितना प्रतिनिधित्व दिया जाता है और कितने प्रतिशत प्रतिष्ठानों में भागीदारी योजना पहले ही लागू कर दी गई है; और

(ग) क्या यह भागीदारी प्रबन्धन के सभी क्षेत्रों में दी गई है और यदि नहीं, तो कौन-कौन सी नीति अथवा अन्य मामलों में यह भागीदारी नहीं दी गई है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ग) प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता संबंधी एक योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित की गई थी। यह सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर, पर लागू होती है। इस योजना में शॉप फलोर और संयंत्र स्तरों पर प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता का प्रावधान है। बोर्ड स्तर पर सहभागिता के संबंध में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (उपक्रम को नियंत्रित करने वाले) श्रम मंत्रालय के विचार-विमर्श से निर्णय ले सकते हैं। 218 कार्यशील केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 108 ने शॉप/संयंत्र स्तर पर सहभागी मंच गठित किये हैं। अन्य 63 उपक्रमों ने योजना का संशोधित स्वरूप कार्यान्वित किया है। कर्मकारों के प्रतिनिधित्व की रीति या छोटे श्रम बाल संबंधी समस्याओं के कारण शेष उपक्रमों में योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी है। सहभागी व्यवस्था के अंतर्गत प्रचालन क्षेत्र, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र, कार्मिक मामले, कल्याण क्षेत्र, उत्पादन, पर्यावरण और समुदाय विकास आते हैं।

विदेशों में भेजे गए कर्मकार

3591. **श्री कल्पकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष और 30 जून, 1994 तक राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कर्मकारों को विभिन्न देशों में भेजा गया है; और

(ख) वर्ष 1994 और 1995 में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कर्मकारों को विभिन्न देशों में भेजे जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) 1993 से पूर्व, उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों से अनुमति चाहने वाले कर्मकारों के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते थे। वर्ष 1991 और 1992 के दौरान, क्रमशः 1.96 लाख और 4.17 लाख कर्मकारों को विदेश में संविदात्मक रोजगार के लिए अनुमति प्रदान की गयी थी। वर्ष 1993 और 30 जून, 1994 तक के लिए ऐसे कर्मकारों के राज्य-वार आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

(ख) कर्मकार विदेशों की मांग के अनुसार या तो श्रम मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से अथवा परियोजना विशेषज्ञों के माध्यम से अथवा वैयक्तिक आधार पर रोजगार के लिए विदेश जाते हैं। उन कर्मकारों की संभावित संख्या के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है जो वर्ष 1994 और 1995 के दौरान विदेश में रोजगार के लिये उत्प्रवास संरक्षियों से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

कैंसर और क्षय रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों का इलाज

3592. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कैंसर और क्षय-रोग जैसी बीमारियों की बीड़ी कर्मकारों में अधिक फैलने की संभावना होती है;

(ख) सरकार द्वारा कैंसर और क्षय-रोग से पीड़ित